राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक–एफ5/मुख्या./दुर्घ/प्रशि./24/1422 दिनांक– 02/01/2025

परिपत्र

घने कोहरे को देखते हुए निगम बसों के संचालन के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतने के उद्देश्य से निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

प्रबन्धक (संचालन) को दिशा–निर्देश:–

1. रिफलेक्टिव टेप समस्त संचालित वाहनों में निर्धारित स्थानों पर लगी होना सुनिश्चित करें।
2. सभी संचालित वाहनों के वाइपर वर्किंग कन्डीशन में हो।
3. सभी संचालित वाहनों के इन्डीकेटर/पार्किंग लाईट/फॉग लाईट/ब्रेक लाईट/हैड लाईट(लो बीम/हाई बीम) सभी वर्किंग कन्डीशन में हो।
4. सभी संचालित वाहनों में चालक सीट बेल्ट का लगा होना सुनिश्चित करें।
5. सभी संचालित वाहनों की खिडकियां व उनके लॉक सही स्थिति में है, यह सुनिश्चित करें।

चालकों के सम्बन्ध में निर्देश:–

1. कोहरे के दौरान वाहन की हैडलाईट हमेशा लो बीम मोड पर रखें। इससे घने कोहरे में भी आपको सामने का आवागमन साफ तौर पर दिखाई देगा। हैडलाईट को कभी भी हाई बीम मोड में ना रखें क्योकि ऐसा करने पर कोहरे से लाईट रिफलेक्ट होकर आंखो में पडती है, जिससे वाहन चलाने में परेशानी होती है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
2. कोहरे के दौरान हमेशा गति पर ध्यान रखें, कभी भी वाहन की गति एक औसत से ज्यादा ना रखें। ऐसा करने से सड़क पर अचानक किसी वस्तु, वाहन इंसान या जानवर के आने पर आसानी से वाहन को रोक सकते हैं।
3. वाहन चलाने के दौरान समय–समय पर वाइपर को भी प्रयोग में लेते रहें, इससे सामने के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदे साफ होती रहेगी व सड़क साफ दिखाई देगी।
4. अचानक वाहन को चलते समय रोकने के लिये हमेशा सड़क का किनारा ध्यान रखे तथा सड़क के किनारे रोकना सुनिश्चित करें एवं इन्डीकेटर लाईट जलती रहनी चाहिये, इससे पीछे से आने वाले वाहन को वाहन खडी हुई दिखाई देगी।
5. हमेशा वाहन चलाते समय सड़क के किनारे बनी दिशा निर्देश की पट्टियों का ध्यान रखें। अपनी ही लेन में वाहन का संचालन करें, बार–बार लेन में बदलाव नही करें यह खतरनाक हो सकता है।

Signature valid
Digitally signed by Purusottam Sharma
Designation: Managing Director
Date: 2025.01.02 12:37:24 IST
Reason: Approved

I.T./19
03/01/25

Kaj Ref No.: 12683199

6. आगे चल रही वाहनों से ज्यादा दूरी बनाये रखें जिससे इमरजेन्सी ब्रेकिंग या आपात की स्थिति में वाहन को मोड़ने या ब्रेक लगाने में नुकसान से बचा जा सके।

7. वाहन के केबिन की खिड़की थोड़ी खुली रखें ताकि आप सड़क पर यातायात के आवागमन को सुन सके तथा वाहन संचालन के दौरान मोबाईल/रेडियो/टेप रिकॉर्डर आदि का उपयोग नही करें।

उपरोक्त बिन्दुओं की पालना के लिये कार्यशाला कर्मचारीयो/चालकों को पाबन्द किया जावें तथा परिपत्र को आगार कार्यशाला/आगार कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक–एफ5/मुख्या./दुर्घ/प्रशि./24/1422

दिनांक– 02/01/2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

3. समस्त विभागाध्यक्ष.. राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

4. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

5.कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

6.जोनल मैनेजर/जोनल इंजीनियर, राजस्थान परिवहन निगम, ...जोन।

7.मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन) राजस्थान परिवहन निगम,.....................................आगार।

8.निजी/आदेश पत्रावली।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

Signature valid
Digitally signed by Purusottam Sharma
Designation : Managing Director
Date: 2025.01.02 12:37:24 IST
Reason: Approved